

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०स०-१४/२०१२ २/३  
 झारखण्ड सरकार  
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क० शतपथी,  
 प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ११-३-१३

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना, उप शीर्ष-६४-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180789640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिषिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिषिष्ट २ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य	७८९-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना/६४- छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180789640545	12.50

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बारह लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के संशोधित बजट उपबंध ₹ ८२३.०० लाख (आठ करोड़ तेर्हीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिषिष्ट २ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

J. A. C.G.

(सुरेश प्रसाद भगत)  
 सहायक अभियंता

G.  
 (जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
 उप सचिव (अभि.)

S.  
 (सुबोध कुमार सिन्हा)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

S.  
 (बी. सी. निगम)  
 विशेष सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

मि।  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२/३

रॉची, दिनांक :- ११-३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

मि।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२/३

रॉची, दिनांक :- ११-३-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -। एवं ॥ जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-७ को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

SNL  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

GJ  
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

AKS  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

BSN  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

LS  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 2/3

दिनांक 11-3-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-789-अनुसन्धान जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना

उप शीर्ष-64-छोटानगपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180789640545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 823.00 लाख (आठ करोड़ तेर्हीस लाख) मात्र।

(रुपये लाख \* में)

क्र.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	31 मार्च	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अन्युकृति
						2012 तक व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ओरंगा निर्माण प्रमङ्गल, पांकी	मेदिनीनगर	उत्तर कोयल परियोजना	81472.30	1645/16.07.98	76339.00	117.00	12.50
			योग			117.00	12.50	129.50

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बारह लाख पचास हजार मात्र।

1.1.1.1

(बी. सी. निर्माण)

(एस० क० शतपथी)  
प्रधान सचिव।

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सहायक अभियंता

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक :- ..... 213.....

विप्र कोड 49P470180789640545

दिनांक..... 11-3-13

का अनुलाभक

परिशिष्ट - 2

(राशि लाख ₹ में)

क्र. नंम	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण			पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अन्यकित
			4	5	6				
1	2	3	उत्तर कोयल जलाशय के डूबक्षेत्र एवं अन्य हिस्से का JSAC द्वारा सर्वेक्षण परियोजना उच्च विद्यालय मोहम्मदगांज एवं मंडल अवस्थित उच्च विद्यालय मंडल के शिक्षक एवं शिक्षाकेतर कर्मचारियों का वर्ष 2012-13 का वेतन भुगतान कर्य	12.50	12.50	25.00			
			उत्तर कोयल बांधी मुख्य नहर से निस्तूत कांडी उपवितरणी का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य (अनुसंधान प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु)	2.50	0.00	2.50			
			मोहम्मदगांज बराज से निस्तूत बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 0.00 से 39.00 तक नहर खुदाई का कार्य	2.00	0.00	2.00			
			कादल ग्राम के जल जमाव के निकासी हेतु 3.37 पर सी०डी० तथा इंजेनेज चैनल का निर्माण	10.00	0.00	10.00			
1	प्रमंडल-पांकी	उत्तर कोयल परियोजना	बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 17.40 / 17.80, 19.50 / 19.70, 21.50 / 21.70, 23.80 / 24.30 एवं 25.40 / 25.90 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	29.80	0.00	29.80			
			बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 17.20 / 17.40 एवं 16.00 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	14.00	0.00	14.00			
			बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 1.00 / 1.10 एवं 31.00 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	30.00	0.00	30.00			
			बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 3.90 एवं 12.90 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	10.00	0.00	10.00			
			बांधी मुख्य नहर के आर०डी० 22.50 / 22.75 एवं 15.00 / 15.20 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	2.60	0.00	2.60			
			रोपा	117.00	12.50	129.50			
			अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बारह लाख पचास हजार मात्र।						

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अधिकारी

  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अधिक)

  
(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अधिक)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

  
(एस० कै० शतापथी)  
प्रधान सचिव।